पंचदश बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक 21.07.2014 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री प्रेम रंजन पटेल, स०वि०स० श्री संजय सिंह टाईगर, स०वि०स० श्री रामदेव महतो, स०वि०स० श्री विनोद कुमार सिंह, स०वि०स० श्री रामचन्द्र सहनी, स०वि०स० श्री सचीन्द्र प्रसाद, स०वि०स० श्री जवाहर प्रसाद, स०वि०स० श्री विजय कुमार सिन्हा, स०वि०स०	"लक्खीसराय जिला अन्तर्गत सूर्यगढ़ा प्रखण्ड के कजरा में बनने वाले पावर प्रोजेक्ट के जमीन अधिग्रहण हेतु 01 जुलाई, 2011 को गजट जारी होने के बाद सरकारी पदाधिकारियों के साथ मिली भगत कर बिचौलियों तथा भू-स्वामियों द्वारा गरीब किसानों के जमीन को औने-पौने दाम पर खरीद कर मुआवजा प्राप्त किया गया । दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर जमीन का निबंधन कराया गया । किसान जमीन से बेदखल होने के बावजूद मुआवजा भी नहीं प्राप्त कर सके । सरकारी पदाधिकारी भी बिचौलियों के साथ मिलकर जमीन को खरीद कर मुआवजा प्राप्त किया । किसान बदहाल हैं । जमीन अधिग्रहण में बड़ी अनियमितता हुई है । अत: अधिग्रहित जमीन के असली किसानों को मुआवजा देने तथा सरकारी कर्मचारियों द्वारा बिचौलियों के साथ मिलकर अधिग्रहण में की गयी अनियमितता को चिन्हित कर कार्रवाई करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"	ऊर्जा / राजस्व एवं भूमि सुधार

1	2	3	4
2.	श्रीमती रेणु कुमारी, स०वि०स० श्री राहुल कुमार, स०वि०स० श्री अशोक कुमार सिंह, स०वि०स० श्री नरेन्द्र कुमार नीरज, स०वि०स० श्री मंजीत कुमार सिंह, स०वि०स०	"राज्य के महानुभावों के सरकारी एवं निजी यात्रा के दौरान निवास हेतु नयी दिल्ली स्थित बिहार निवास एवं बिहार भवन का निर्माण किया गया । दोनों ही भवनों के समुचित संचालन एवं देखरेख हेतु बिहार सरकार के कर्मी दिल्ली में प्रतिनियुक्त हैं परंतु दोनों ही भवनों की स्थिति अत्यंत दयनीय है । शौचालयों में पानी जाम रहना, पानी बंद रहना, ए०सी०, टी०वी० खराब रहना, चादर-तौलिया साफ नहीं रहना, कीटाणुयुक्त कम्बल रहना आम बात है । इससे महानुभावगण परेशान होते हैं । इसके साथ-साथ, दोनों ही भवनों में नाश्ता-खाना बहुत ही घटिया किस्म का है । ग्लास प्लेट की सही सफाई तक नहीं होती । कैंटीन में गंदगी भरी हुई है । इतना ही नहीं, दोनों भवनों का आरक्षण अहस्तांतरणीय है परंतु भवनों में प्रतिनियुक्त कर्मियों की मिलीभगत से आरक्षण हस्तांतरित होता रहता है । इस तरह की कार्रवाई स्थानिक आयुक्त की नाक के नीचे हो रही है । अतएव दोनों भवनों के रख-रखाव, भोजन-नाश्ता की क्वालिटी, कैंटीन की साफ-सफाई एवं आरक्षण के हस्तांतरण संबंधी अनियमितता की जांच हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते है ।"	मंत्रिमंडल सचिवालय

हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-24/14- 1080 / वि०स०, पटना, दिनांक- 19 जुलाई, 2014 ई० ।

प्रतिः-बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / ऊर्जा विभाग / राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

19.7.14
(नियाज अहमद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-24/14- 1080 / वि०स०, पटना, दिनांक- 19 जुलाई, 2014 ई० ।

प्रतिः-अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

19.7.14
(नियाज अहमद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।